THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) The innovative JRY was introduced in 1993-94 to implement Special & Innovative projects to prevent migration of labour, enhancing women's employment opportunities and to benefit special groups of people or areas which were getting by passed by ongoing rural development programmes.

(c) to (c) The projects sanctioned to State Governments and NGOs under the scheme are monitored by this Ministry. On sample basis, some projects were also evaluated by NIRD. The evaluation studies reveal that the projects sanctioned under Innovative JRY were largely beneficial to the areas and people for which they are sanctioned.

Employment at block level in rural areas

2774 SHRIMATI CHANDRESH KUMARI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total number of eligible persons provided employment at block level under Rural Areas Employment Scheme during the last three financial years, States and Union Territory-wise;

(b) whether record of such employment is available in each block office of each district under States and Union Territories;

(c) whether Government propose to reconstitute blocks of all States and Union Territories ensuring that the benefits of the scheme as in part (a) reach to all the villages; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor with steps to be taken to strengthen the Panchayati Raj Institution?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) The number of persons provided employment under different rural employment and poverty alleviation schemes (state-wise) during the last three years is at Annex- ure See Appendix 185, Annexure No. 68. The record of such employment is expected to be available at respective Block Office/ Gram Panchayat.

(c) and (d) There is no proposal with the Central Government for raconstitution of blocks. In order to strengthen the Panchayats as institutions of Self Government, the Ministry of Rural Areas & Employment has been urging the State Governments to speed up the process of devolution of power and functions of the Panchayati Raj Institutions (PRIs). The Ministry of Rural Areas and Employment is also supporting the State Governments in their awareness generation, capacity building and training efforts for elected members of the PRIs and its functionaries.

The Task Force has been constituted under the chairmanship of the Union Minister for Rural Areas and Employment to study the structure and functioning of Panchayats with a view to ensure their proper role in the effective implementation of the various development programmes in general and concerning the rural poor in particular.

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन

2775 श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितनी कटौती की गई है;

(ग) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाई योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

समेकित ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध ऋण/रियायतें

2776 **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्रोत से राज्यों, विशेषतः गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों को ऋण/रियायतें उपलब्ध/प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों के सभी जिलों को उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक परिसम्पत्तियां प्रदान की जाती हैं जो उन्हें दीर्घकालीन आयोपार्जन के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में तथा सरकार से सबसिडी के रूप में प्राप्त होती हैं।

(ख) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 1996-97 और 1997-98 के दौरान अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋण और सबसिडी को दशानें वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ग) जी, हां, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को इन राज्यों के समस्त जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1996-97 और 1997-98 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण गरीबों को दिए गए ऋण और सबसिडी को दशानें वाला विवरण (रुपए लाख में)

1997-98

क्रम सं०	राज्य	दिए गए ऋण		दी गयी सबसिडी	
		कुल	अनु०जनजाति के लिए	कुल	अनु०जनजाति के लिए
1.	गुजरात	4870.71	1321.12	2375.08	827.85
2.	महाराष्ट्र	18837.23	2559.74	7093.80	1359.93
3.	राजस्थान	13238.95	2510.62	3065.87	664.92
4.	मध्य प्रदेश	20452.89	4678.23	9591.80	3291.91